न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिधूना, औरैया।

पीठासीन अधिकारीः–(कुशाग्र मिश्र) उ0प्र0 न्यायिक सेवा–UP4693

दाण्डिक वाद संख्या–2356/2022(2183/16)

CNR No. UPAU120051732022

राज्य बनाम रामसनेही आदि।

मु0अ0सं0–52/2016
धारा–504, 506 भा0दं0सं0
थाना–बिधूना, जिला औरैया।

दिनांक–16.04.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकारा गया। पुकार पर वादी मुकदमा **प्रदीप कुमार** एवं अभियुक्तगण **रामसनेही, संजय, उदयवीर एवं कुलदीप** के विद्वान अधिवक्तागण को समझौतानामा दिनांकित 10.03.2026 मय शपथ पत्र पर सुना गया।

वादी मुकदमा प्रदीप कुमार व अभियुक्तगण की ओर से समझौतानामा दिनांकित 10.03.2026 इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के मध्य चन्द भले लोगों के मध्य बैठकर समझौता हो गया है। प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के मध्य अब कोई निजा शेष नहीं है। प्रथम पक्ष बिना किसी दबाव व प्रलोभन के स्वेच्छा से द्वितीय पक्ष के बीच समझौतानामा दाखिल कर रहा है। प्रथम पक्ष अब द्वितीय पक्ष पर आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। अतः प्रार्थना है कि उपरोक्त प्रकरण को समझौतानामा दिनांकित 10.03.2026 के आधार पर निर्णीत करने की कृपा करें।

पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्तगण रामसनेही, संजय, उदयवीर एवं कुलदीप के विरूद्ध आरोप पत्र, मु0अ0सं0–52/2016, अन्तर्गत धारा–504, 506 भा0दं0सं0 में थाना बिधूना पुलिस द्वारा न्यायालय में विचारण हेतु प्रेषित किया गया। अभियुक्तगण ने न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर अपनी–अपनी जमानतें करायी। वादी द्वारा समझौतानामा दिनांकित 10.03.2026 मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थी/प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के मध्य चन्द भले लोगों के मध्य बैठकर समझौता हो गया है। प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के मध्य अब कोई निजा शेष नहीं है। प्रथम पक्ष बिना किसी दबाव व प्रलोभन के स्वेच्छा से द्वितीय पक्ष के बीच समझौतानामा दाखिल कर रहा है। प्रथम पक्ष अब द्वितीय पक्ष पर आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। जिस कारण उक्त मुकदमें की कार्यवाही इस स्तर पर समाप्त किये जाने की याचना की गई है। चूंकि वादी स्वयं पीड़ित हैं और उक्त प्रकरण को समझौतानामा के आधार पर निर्णीत किये जाने की प्रार्थना की गयी है। समझौतानामा पक्षकारों को पढ़कर सुनाया गया, जिसे उनके द्वारा स्वीकार किया गया। समझौतानामा दिनांकित 10.03.2026 वादी व अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय के समक्ष तस्दीक किया गया। उभयपक्ष द्वारा अपनी पहचान सुनिश्चित करने हेतु आधारकार्ड की छायाप्रतियां प्रस्तुत की गयी हैं। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत प्रकरण की कार्यवाही धारा–320 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत उपशमित किये जाने योग्य है। तद्नुसार पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा दिनांकित 10.03.2026 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा दिनांकित 10.03.2026 स्वीकार किया जाता है। प्रस्तुत प्रकरण की कार्यवाही धारा–320 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत उपशमित की जाती है। अभियुक्तगण

Digitally signed by KUSHAGRA MISHRA
Date: 2026.04.16 16:21:24 IST
Reason: Order
Location: CJJD Court, Bidhuna

रामसनेही, संजय, उदयवीर एवं कुलदीप को दाण्डिक वाद संख्या–2356/2022(2183/16), मु0अ0सं0–52/2016, राज्य बनाम रामसनेही आदि, अन्तर्गत धारा 504, 506 भा0दं0सं0 थाना बिधूना, जिला औरैया के मामले में दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर है, उनके व्यक्तिगत बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा जामिनदारों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक–16.04.2026

(कुशाग्र मिश्र)
सिविल जज (जू0डि0)/जे0एम0,
बिधूना, औरैया।
J.O. Code : UP4693